न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 212 / 2022

अनवान : –

1. मामचन्द पुत्र झीण्डुाम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. झीण्डुराम पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. मदन पुत्र झीण्ड जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री झीण्डुराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. सन्दीप 5. सुरेश 6. कौशल्या 7. सावित्री पुत्र व पुत्रीयान नन्दलाल पुत्र झीण्डुराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. कमला पत्नी नन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 08/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 94 / 90 की कुल 9.2850 हैक्ट भूमि में से 2653 / 18570 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 86 / 70 की कुल 8.0580 हैक्ट भूमि में से 1 / 7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सोहनलाल के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद विरासन उनके वारिसान के नाम् दर्ज हुयी। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 व 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में अन्य सभी पक्षकार काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे [illegible] दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इस[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घ[illegible]णा की जावें की वा[illegible] हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 व 4 ता 5, 7 व 10 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया की रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 94/90 की कुल 9.2850 हैक्ट भूमि में से 2653/18570 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 86/70 की कुल 8.0580 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 अपने पुत्रगण मामचन्द व मदन को तथा सन्दीप, सुरेश, कौशल्या, सावित्री पुत्र व पुत्रीयान नन्दलाल को दे दिया है इसलिए रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 94/90 की कुल 9.2850 हैक्ट भूमि में से 2653/18570 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर मामचन्द, मदन पि0 झिण्डुराम का 2/3 हिस्सा बहिब तथा कमला पत्नी नन्दलाल का 1/3 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे तथा रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 86/70 की कुल 8.0580 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर मामचन्द, मदन पि0 झिण्डुराम का 2/21 हिस्सा बहिब तथा कमला पत्नी नन्दलाल का 1/21 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे तथा क्योकि सुरेश, सन्दीप, कौशल्या उर्फ नितु शर्मा, सावित्री पुत्र व पुत्रीयान नन्दलाल ने अपना समस्त हक हिस्सा माता कि पक्ष में त्याग कर दिया है। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो किसी पक्षकार को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 6 ने इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 व 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1 व 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की [illegible] दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के [illegible] सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:01 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 एनटीआर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 94/90 की कुल 9.2850 हैक्ट भूमि में से 2653/18570 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 86/70 की कुल 8.0580 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार झिण्डुराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 1 व 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल/राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 94/90 की कुल 9.2850 हैक्ट भूमि में से 2653/18570 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को 2/3 हिस्सा बहिब व प्रतिवादी संख्या 10 को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 86/70 की कुल 8.0580 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को 2/21 हिस्सा बहिब व प्रतिवादी संख्या 10 को 1/21 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:01 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 212/2022

अनवान : –

1. मामचन्द पुत्र झीण्डूाम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. झीण्डुराम पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. मदन पुत्र झीण्ड जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री झीण्डुराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. सन्दीप 5. सुरेश 6. कौशल्या 7. सावित्री पुत्र व पुत्रीयान नन्दलाल पुत्र झीण्डुराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. कमला पत्नी नन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 212 सन 2022 निर्णय दिनांक 09/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 94/90 की कुल 9.2850 हैक्ट भूमि में से 2653/18570 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को 2/3 हिस्सा बहिब व प्रतिवादी संख्या 10 को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा चक 14 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 86/70 की कुल 8.0580 हैक्ट भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को 2/21 हिस्सा बहिब व प्रतिवादी संख्या 10 को 1/21 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:00:01 IST
Reason: SelfAttested